औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अधीन लाइसेंस

@@1277-ख. **श्री रजनी रंजन साहू:** क्या स्वास्थ्य और परिवार व कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे औषध निर्माण एककों की संख्या कितनी है जिन्होंने औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम निर्माण लाइसेंस प्राप्त किए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि 70 प्रतिशत निर्माण एककों के पास अपनी निजी परीक्षण प्रयोगशालाएं नहीं हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि औषध निर्माता एककों के पास अपनी परीक्षण प्रयोगशाला का होना अनिवार्य है;

(घ) यदि हां तो औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अधीन इन कम्पनियों को उत्पादन लाइसेंस जारी करने के विस्तृत कारण क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री एस. कृष्णकुमार) : (क) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अंतर्गत औषधियों के निर्माण और बिक्री पर नियंत्रण राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा रखा जाता है और औषधि निर्माण के लिए लाइसेंस सम्बधित राज्य द्वारा दिया जाता है उन औषध निर्माता यूनिटों की संख्या के बारे में जिन्होंने निर्माण लाइसेंस प्राप्त कर लिए हैं इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना अनुबंध में दी गयी है। **(नीचे देखिये)**

(ख) से (ङ) हमारे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार बड़े औषधि निर्माताओं के पास अपनी परीक्षण सुविधाएं हैं। ऐसे 9,000 से अधिक लघु निर्माताओं जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा लाइसेंस दिए जाते हैं के पास मौजूद औषध परीक्षण की सुविधाओं के बारे में केन्द्रीय सरकार के पास कोई सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा नियमों के अंतर्गत प्रत्येक औषध निर्माता को उसके द्वारा तैयार की गयी औषधि की जांच करवाना और आवश्यक जांच रिकार्ड रखना होता है।

राज्य सरकारों को यह सलाह दी गयी है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि उनकी निर्माण यूनिटों के पास अपनी परीक्षण सुविधाएं हों जिन्हें उनके द्वारा लाइसेंस दिये जाएं।

विवरण

1-4-1984 की स्थिति के अनुसार देशमें एलोपैथिक निर्माण यूनिटों की राज्य-वार संख्या

क्रम सं0	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1-4-1984 की स्थिति के अनुसार एलोपैथिक निर्माण यूनिटों की संख्या
1.	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	527
2.	असम	28
3.	बिहार	383
4.	गुजरात	659
5.	हरियाणा	160

@@ पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 978,5 म , 1986 से स्थानान्तरित।

1	2	3
6.	हिमाचल प्रदेश	27
7.	जम्मू और कश्मीर	22
*8.	केरल	157
9.	मध्य प्रदेश	460
10.	मनीपुर	–
11.	महाराष्ट्र	3561
12.	कर्नाटक	176
13.	उड़ीसा	168
*14.	पंजाब	112
*15.	राजस्थान	149
16.	तमिलनाडु	840
17.	त्रिपुरा	6
18.	उत्तर प्रदेश	385
19.	पश्चिमी बंगाल	1009
20.	दिल्ली	246
21.	चण्डीगढ़	10
22.	दादर व नगर हवेली	4
23.	गोवा	34
24.	पांडिचेरी	11
25.	अरूणाचल प्रदेश	–
26.	मेघालय	1
27.	नागालैंड	–
28.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	–
29.	मिजोरम	–
30.	लक्षदीप	–
		9,135

आंकड़े 1-4-1984 की स्थिति के अनुसार

भ्रामक विज्ञापन्

@@@1277-ग. **श्री कृष्णकुमार बिरला** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को इस बात की जानकारी है कि "मैजिक रेमेडीज" ग्रो इन जस्ट टू वीक्स" तथा "मनी रीफंडेड, इफ नाट सेटिस्फाइड जैसी विज्ञापन संबंधी शब्दावली के प्रयोग पर प्रतिबंध लगे होने के बावजूद कुछ निर्माता लोगों को गुमराह करके और अपने उत्पादों का बढ़ा-चढ़ा कर विज्ञापन करके उपभोक्ताओं को धोखा दे रहे हैं और उन्हें लूट रहे हैं ;

@@@ पूर्वत: अतारांकित प्रश्न 1015, 5 मई, 1986 से स्थानांतरित ।